

कार्यालय : सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश,
23 एलनगंज, प्रयागराज, पिन कोड:- 211002

दूरभाष सं०/ फ़ैक्स नं०:- 0532 2466761, 0532 2466769 Website: <https://updeled.gov.in>

ई-मेल आई डी:- secretarypnp.up@gmail.com, updeled@gmail.com

विज्ञप्ति

डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण 2019 ऑन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा मेरिट/रैंकिंग के सापेक्ष आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जॉच/प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु समय-सारिणी

PHASE – I

डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2019 हेतु निर्गत शासनादेश सं० 426/68-4-2019-2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 25.06.2019 के अनुपालन में डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2019 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से मेरिट के सापेक्ष प्रशिक्षण संस्थान के आवंटन हेतु संस्थान का विकल्प वेबसाइट updeled.gov.in के माध्यम से भरे जाने हेतु समय-सारिणी निम्नवत् है -

क्र० सं०	संस्थान का विकल्प भरने की तिथि	स्टेट रैंक	संस्था आवंटन प्रकाशित होने की तिथि	आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जॉच/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि
01	17 जुलाई 2019 (सायं) से 19 जुलाई 2019 तक	रैंक 000001 से 25000 तक	20 जुलाई 2019	21 जुलाई 2019 से 04 अगस्त 2019 सायं 05:00 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि
02	20 जुलाई 2019 सायं से 24 जुलाई 2019 तक	25001 से 115000 तक एवं (क्रम सं० 01 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें क्रम सं० 1 में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो।)	25 जुलाई 2019	
03	26 जुलाई 2019 से 30 जुलाई 2018 तक	115001 से 250000 तक एवं (क्रम सं० 01 एवं 02 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें क्रम सं० 1 व 2 में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो।)	31 जुलाई 2019	
04	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक करने की अंतिम तिथि (नोट- ऐसे संस्थान जिनके द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट https://updeled.gov.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक नहीं किया जायेगा, उन्हें काउंसलिंग के अगले चरण में रिक्त सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थी आवंटित नहीं किये जायेंगे।)			05 अगस्त 2019
05	प्रशिक्षण	समस्त चरण के अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 06 अगस्त 2019 से प्रारम्भ है।		


नोट -

1. अभ्यर्थी अपनी मेरिट/रैंकिंग वेबसाइट <https://updeled.gov.in> पर दिनांक 16.07.2019 से अवलोकित कर सकते हैं।





2. वेबसाइट <https://updeled.gov.in> पर प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों/निजी डी0एल0एड0 संस्थानों में आवंटित सीटों की संख्या तथा वर्गवार/श्रेणीवार रिक्त सीटों की सूची (सीट मैट्रिक्स) सहित उपलब्ध है। इसी वेबसाइट पर अभ्यर्थियों द्वारा संस्थानों का विकल्प भरे जाने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश भी उपलब्ध है।
3. अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक के अनुसार अभ्यर्थी प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु निर्धारित समायावधि के भीतर वेबसाइट <https://updeled.gov.in> के माध्यम से संस्थानों का चयन कर लॉक करना सुनिश्चित करें। **अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात् Choice Lock न करने पर भरे गये विकल्पों को स्वतः लॉक माना जायेगा जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा।**
4. अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्थान का विकल्प प्राथमिकता के आधार पर चयन (च्वाइस फिलिंग/च्वाइस लॉक) करेंगे। अभ्यर्थी अधिक से अधिक संस्थानों का विकल्प भरें, उनके विकल्प चुनने की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है, वह एक बार में ही उपलब्ध समस्त संस्थानों का विकल्प वरीयता क्रम में चुन सकते हैं। जिससे उसकी मेरिट के सापेक्ष चुने हुये विकल्पों में से किसी एक प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन किया जा सके। अभ्यर्थी द्वारा कम संख्या में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प देने पर यह सम्भावना है कि उन्हें मेरिट के सापेक्ष चुने हुये विकल्पों में किसी भी प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन न हो। अतः अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प चुने।
5. अभ्यर्थी की मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण हेतु आवंटित संस्था में अभिलेखीय जॉच/प्रवेश की कार्यवाही के लिए आवंटन पत्र (Allotment Letter) प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को रू0 10000 (दस हजार मात्र) का भुगतान वेबसाइट पर दिये गये SBI MOPs Link का प्रयोग कर करना होगा। अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिये गये SBI MOPs Link का प्रयोग कर SBI Internet Banking/ Other Internet Banking/ Debit Card/Credit Card के माध्यम से निर्धारित शुल्क भुगतान उसी दिन कर सकते हैं।
6. अभ्यर्थी द्वारा ही प्रशिक्षण हेतु संस्थान का विकल्प दिया गया है अतः अभ्यर्थी के स्टेट रैंक (मेरिट) एवं भरे गये प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प की वरीयता से संस्थान/सीट का आवंटन होने के पश्चात्, अभ्यर्थी को आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। एक बार प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन होने के पश्चात् अभ्यर्थी को प्रवेश के अगले चरण/प्रक्रिया में पुनः प्रशिक्षण संस्थान का ऑनलाइन विकल्प भरने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
7. अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु संस्था आवंटित हो जाने के उपरान्त आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी के प्रवेश न लेने व किसी भी प्रकार की अभिलेखीय विसंगति पाये जाने पर उक्त शुल्क रू0 10,000 किसी भी परिस्थिति में वापस (Refund) नहीं होगा और साथ ही उस अभ्यर्थी को प्रवेश/काउंसिलिंग/प्रशिक्षण संस्थान का ऑनलाइन विकल्प भरने के अग्रिम चरण, में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी उक्त आवंटन पत्र के साथ अभिलेखीय जॉच/प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को आवंटित संस्थान में अपने समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश सम्बन्धित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।
विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट देखें: <https://updeled.gov.in> एवं हेल्प लाइन नं0 0532-2466761, 0532-2466769 एवं ई-मेल आई डी updeled@gmail.com पर सम्पर्क करें।


सचिव 15.7.19

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पृ0सं0 / डी0एल0एड0 2019 / 8620-28 / 2019-20 दिनांक 15.7.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5. राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
6. मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक गवर्नमेंट बिजनेस शाखा, लखनऊ।
7. समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राचार्य, सी0टी0ई0 वाराणसी एवं प्रबन्धक/प्राचार्य निजी डी0एल0एड0 प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।


सचिव, 15.7.19

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज